रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236100
SG-DL-E-28052022-236100

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं.92
No. 293]	DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944	[N. C. T. D. No. 92

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मई, 2022

सं. फा. 11/17/2020/एच–डीओपी/आर.आर.–II/158 से 166.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24/09/1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68–डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य अभियोजक के पद से संबंधित भर्ती नियमावली, सं. फा. 13/17/94/डीओपी/एचपी–II /344–350 दिनांक 19.01.2004 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'मुख्य अभियोजक' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (क) इन नियमों को अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मुख्य अभियोजक भर्ती नियमावली , 2022 कहा जायेगा।

(ख) ये शासकीस राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :– ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादिः**– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की भाक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **बचावः**– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मुख्य अभियोजक के पद की भर्ती नियम

1.	**पदनाम**	:	मुख्य अभियोजक
2.	**पदों की संख्या**	:	* 13 (2020) * (इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित समूह 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर केन्द्रीय सिविल सेवा (आर पी) नियम, 2016**	:	12 अभ्युक्ति : (78,800 – 2,09,200/– रूपये)
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	अनिवार्य : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं योग्यता मानक टीप : लागू नहीं अनुभव मानक टीप : लागू नहीं

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता – लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पद्धति : पदोन्नति प्रतिशत : 100
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है**	:	पदोन्नति : अपर लोक अभियोजक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –11(67700 – 2,08,700/– रूपये) में तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अपर लोक अभियोजक । **टीप 1 –** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष , इसमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। मानक टीप : लागू नहीं ।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति समितिः 1. अध्यक्ष /सदस्य – संघ लोक सेवा आयोग –(अध्यक्ष) 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 3. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 4. निदेशक अभियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) विभागीय स्थाईकरण समिति 1. लागू नहीं – (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं – (सदस्य) 3. लागू नहीं – (सदस्य) 4. लागू नहीं – (सदस्य)
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल. के. गौतम, उप सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

(Directorate of Prosecution Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th May, 2022

No. F. 11/17/2020/H-DOP/RR-II/158 to 166.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, and in supersession of the No.F.13/17/94/DOP/HP-II/344-350 dated the 19th January, 2004 Recruitment Rules in so far as they relate to the post of the Chief Prosecutor, and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the post of the 'Chief Prosecutor' in the Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement** :–

(a) These rules may be called the Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, Chief Prosecutor Recruitment Rules -2022.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, its classification and Pay level in the pay matrix:-** The number of said posts, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualification, etc-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification :-** No person;-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to Relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR CHIEF PROSECUTOR IN DIRECTORATE OF PROSECUTION GOVERNMENT OF NATIONAL CAPTIAL TERRITORY OF DELHI

Name of Post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Level in the pay Matrix**	**Whether Selection post/ Non-Selection post**	**Age-Limits for Direct Recruits.**
1	2	3	4	5	6
CHIEF PROSECUTOR	13(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, A	12 Remark : (Rs.78800 - 209200/-)	Selection Post	Not Applicable

Educational and other Qualification required for direct recruits	**Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
7	8	9	10
Essential :- Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable **Desirable:-** Qualification: Not Applicable. Experience: Not Applicable. Qualification Standard Note: N.A. Experience Standard Note: N.A.	AGE : NA Edu.Qual : NA	NA	Method : Promotion Percentage : 100

In case of recruitment by Prom./Dep./abs. grades from which prom./dep./abs to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making Recruitment**
11	12	13
Promotion: Additional Public Prosecutor in level-11 (Rs.67700- 208700) of the Pay Matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. Note : Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	Departmental Promotion Committee 1. CHAIRMAN/MEMBER, UPSC (Chairman) 2. CHIEF SECRETARY, GNCTD (member) 3. SECRETARY CONCERNED, GNCTD (member) 4. DIRECTOR PROSECUTION, GNCTD (member)	Consultation with UPSC is not necessary.

requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. Standard Note: NA	Departmental Confirmation Committee 1. Not Applicable (Chairman) 2. Not Applicable (member) 3. Not Applicable (member) 4. Not Applicable (member)	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.28 15:21:16 +05'30'